कार्यालय जिलाधिकारी कासगंज

पत्रांकः 632 /सी0आर0ए0–2017–18 दिनांकः दिसम्बर 12 ,2017

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन के शासनादेशः 1651/1–10–2017–12(34)03टी0सी0–1 दिनांक 16 नवम्बर, 2017 के क्रम में वर्ष 2017–18 में शीतलहरी से बचाव हेतु निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु जनपद स्तर पर कम्बल क्रय किये जाने हैं, जिनमें कम्बल की लम्बाई 235 से0मी0, चौड़ाई 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम तथा ऊन 70 प्रतिशत से कम न हो। आपूर्ति संस्था को इस आशय का टैग लगाना होगा **''सम्बंधित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा, तथा कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिक्री के लिये नहीं है।''** कम्बलों की आपूर्ति हेतु शासनादेश सं0: 8/2016/548/18–2–2016–12(एस0पी0)/2010 दिनांक 12 अगस्त, 2016 में दिए गए निर्देशानुसार उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाओं, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम से दिनांक 18.12.2017 को अपरान्ह 02:00 बजे तक संग्रह अनुभाग कलक्ट्रेट, कासगंज में सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अर्थात् दिनांक 18.12.2017 को अपरान्ह 02:30 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। निविदा फार्म, एवं अन्य शर्ते संग्रह अनुभाग कलक्ट्रेट, कासगंज से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किए जा सकते हैं।

जिलाधिकारी
कासगंज।

संख्या व दिनांकः–उपरोक्त।
प्रतिलिपिः–

1. सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/नाजिर सदर, कलक्ट्रेट कासगंज को तहसील/कलैक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0), जनपद कासगंज को इस निर्देश के साथ जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. स्थानीय संवाददाता अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र को उपरोक्त विज्ञापन न्यूनतम स्पेस में न्यूनतम सरकारी दर पर प्रकाशित कराने हेतु।

जिलाधिकारी
कासगंज।

CRA-L-D/592